न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वायिलयर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /2011/निगरानी R-1684-I/2011

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम,
2. गोविन्द सिंह पुत्र श्री परसराम,
   निवासीगण–ग्राम जौरा तहसील
   सेबढ़ा जिला दतिया म0प्र0।

---आवेदकगण

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला
   कलेक्टर दतिया म0प्र0।
2. नरेन्द्र पुत्र श्री नन्दराम यादव
   निवासीगण–ग्राम जौरा तहसील
   सेवढ़ा जिला दतिया मा0प्र0।

---आवेदकगण

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.09.2011 पारित न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रं. क्रं.–382/1010–11

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:–

1– यहकि, आवेदकगणों द्वारा एक आवेदन–पत्र धारा 107(5) में अपने भूमि स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर–908 रकवा 1.62 हैक्टर का बन्दोबस्त में अक्स में त्रुटि सुधार होने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/1684/एक/2011/ जिला-दतिया

देवेन्द्र कुमार विरूद्ध म0प्र0शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। अनावेदक 2 के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौराया उपस्थित। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 382//2010-11 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2011 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में धारा 5 अवधिविधान के संबंध में निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण में भी विचारक्षेत्र धारा 5 तक ही सीमित रहेगा। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यतः वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक 1 शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि निगरानी बिलंब से प्रस्तुत की गयी है अपर आयुक्त का आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा भी अधिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का अनुरोध किया गया। 5- विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में	

प्रकरण क्रमांक निग/1684/एक/2011/ जिला-दतिया

देवेन्द्र कुमार विरूद्ध म0प्र0शासन

उपस्थित अभिलेख के अनुक्रम में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 में सारगर्भित एवं तथ्यात्मक विष्लेषण किया जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत एवं तथ्यात्मक विष्लेषण अंकित किया गया है जिसे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में बिलम्बित अवधि को माफ न करने के संबंध में की गयी तथ्यात्मक एवं विस्तृत व्याख्या इस आदेश का अंग होगी। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.09.2011 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य